



# भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केन्द्र, मुंबई

फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ईमेल: crpd@sbi.co.in

## मंडल स्थित अधिकारियों की भर्ती विज्ञापन संख्या: सीआरपीडी/सीबीओ/2022-23/22

- आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान: दिनांक 18.10.2022 से 07.11.2022 तक
- ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड: नवंबर/दिसंबर 2022 में (संभावित)
- ऑनलाइन परीक्षा: 4 दिसंबर 2022 (संभावित)

भारतीय स्टेट बैंक में मंडल स्थित अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को केवल आवेदित मंडल में नियुक्त किया जाएगा।

- आवेदन से पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता तिथि को संबंधित पद हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।
- पंजीकरण की प्रत्रिया तभी पूरी मानी जाएगी, जब आवेदन शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पूर्व बैंक में ऑनलाइन जमा कर दिया गया हो।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अन्य विवरण एवं अद्यतन सूचना हेतु बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> नियमित रूप से देखें। विज्ञापन में किसी परिवर्तन/अद्यतन सूचना को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा। सभी परिवर्तन/अपडेट/शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर प्रकाशित किए जाएंगे।

भारतीय स्टेट बैंक में एक अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारित आवेदन शुल्क के भुगतान, कॉल लेटर जारी करने, परीक्षा/साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया और पैटर्न आदि के बारे में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है, जो (i) ऑनलाइन परीक्षा (ii) स्क्रीनिंग (iii) साक्षात्कार जैसे चरणों में आयोजित की जाएगी।

रिक्तियों की जानकारी निम्नानुसार है:

नियमित रिक्तियाः

मंडल	राज्य/यूटी	भाषा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	इंडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल	वी.आई.	एच.आई.	एल.डी.	डी.एंड.ई
भोपाल	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	हिन्दी	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
भुवनेश्वर	ओडिशा	ଓଡିଆ	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
हैदराबाद	तेलंगाना	తెలుగు	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
जयपुर	राजस्थान	हिन्दी	30	15	54	20	81	200	2	2	2	2
कोलकाता	पश्चिम बंगाल/ सिक्किम/ अंडमान निकोबार द्वीप	बंगाली/ नेपाली	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र/गोवा	मराठी/कॉकणी	30	15	54	20	81	200	2	2	2	2
उत्तर प्रदेश	असम/ अरुणाचल प्रदेश/ मणिपुर/मेघालय/ मिजोरम/नागालैंड/ त्रिपुरा	असमी/बंगाली/ बोडो/मणिपुरी/ गारो/खासी/ मिजो/ कोकोबोरोक	45	22	81	30	122	300	3	3	3	3
	कुल		209	104	377	138	572	1400	15	15	15	11

बैंकलॉग रिक्तियाः

मंडल	राज्य	भाषा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	वी.आई.	एच.आई.	एल.डी.	डी.एंड.ई
भोपाल	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	हिन्दी	0	0	8	8	0	1	0	2
हैदराबाद	तेलंगाना	తెలుగు	0	1	0	1	0	5	0	5
जयपुर	राजस्थान	हिन्दी	0	0	1	1	1	1	0	1
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र/गोवा	मराठी/कॉकणी	0	12	0	12	1	2	0	4
	कुल		0	13	9	22	2	9	0	12

संक्षिप्ताक्षर: अ.जा. - अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, इंडब्ल्यूएस - अर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य - सामान्य श्रेणी; वीआई - दृष्टि बाधित, एचआई - श्रवण बाधित, एलडी - लोकोमोटर दिव्यांगता; डी एंड ई - पद के लिए उपर्युक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (i) के खंड डी एंड ई के तहत पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियां हैं: विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी), मानसिक रुणता (एमआई), ऑटिम स्पेक्ट्रम दिव्यांगता (अत्यल्प) - एसडी (एम) और एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एसडी (एम) में बहु-दिव्यांगता।

- उपर्युक्त रिक्तियां अनंतिम हैं और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
- उम्मीदवार को केवल एक मंडल की रिक्ति के लिए आवेदन करना होगा। एक मंडल की रिक्ति के समक्ष आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी अन्य मंडल की रिक्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक की उम्मीदवारी को केवल उस मंडल में रिक्तियों हेतु विचार किया जाएगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है/जिसका विकल्प चुना है। मेरिट सूची मंडलवार, श्रेणीवाल तैयार की जाएगी।
- चयनित उम्मीदवारों को उस मंडल में तैनात किया जाएगा, जिनकी रिक्ति हेतु उनका चयन किया गया है।
- चयनित उम्मीदवार अंतर मंडल स्थानांतरण/कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग/कॉर्पोरेट सेंटर प्रतिष्ठान पोस्टिंग/विदेश पोस्टिंग के लिए एसएमजीएस-IV ग्रेड में अपनी पदवीनि या 12 वर्ष की सेवा, जो भी बाद में हो, तक पात्र नहीं होंगे।
- किसी विशेष मंडल की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस मंडल की निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा (प्रत्येक मंडल के सामने उल्लिखित) में दक्ष (पढ़ना, लिखना और समझना) होना चाहिए। आवेदित मंडल की निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह बैंक में शामिल होने से पहले अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों (ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर) के लिए आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे नियुक्ति का ऑफर नहीं दिया जाएगा। आवेदित मंडल की निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का एक विषय के रूप में अध्ययन करने के साक्ष्य स्वरूप 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को भाषा परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सहायक कंपनियों के साथ काम करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- एसबीआई में लिपिक/पर्यवेक्षी संवर्ग में कार्यरत उम्मीदवार या संविदा आधार पर लगे कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- एसबीआई में अधिकारी श्रेणी से त्वायगत देने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

- बैंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समस्तर है और भारत सरकार के विभिन्न दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होगा।
- ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त-पद "गैर-क्रीमी लेयर" के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार जो "क्रीमी लेयर" में आते हैं, ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी छूट/आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य अथवा सामान्य (एल.डी./वी.आई./एच.आई./डी और ई), जो भी लागू हो, दर्दानी होगी।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें "गैर-क्रीमी लेयर" खंड इंगित हो और जो 01.04.2022 से साक्षात्कार की तिथि के बीच जारी किया गया हो।

iv. भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिक्षायत एवं पेंशन, भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/2019-ईएसटीटी (आरईएस) द्वारा शासित है।

अस्वीकरण: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की रिक्तियां अनंतिम हैं तथा भारत सरकार के आगे के निदेशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से आय एवं आस्ति प्रमाणपत्र के सत्यापन अधीन है।

v. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को मौजूदा डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी किया गया 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' को साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को या उससे पहले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त तारीख के बाद 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण के लिए समय विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मंडल स्थित अधिकारी के पद के लिए बैंक में नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 1. पात्रता मानदंड:

</div

(क) अन्य: i. जिन उम्मीदवारों ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि सहित बैंकों या एनबीएफसी के साथ किसी भी ऋण व्यवस्था के तहत चुकौती में छूक की है और बैंक द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख तक उनके बकाया को नियमित / चुकाया नहीं है, वे पट पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले इस तरह के बकाया को नियमित कर लिया है / चुका दिया है, लेकिन जिनकी सिबिल (CIBIL) स्थिति को तब तक अडेट नहीं किया गया है, उन्हें शामिल होने की तारीख को या उससे पहले या तो सिबिल की स्थिति को अपडेट कराना होगा या ऋणदाता से इस आशय का अनापाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सिबिल में प्रतिकूल रूप से दर्शाएं गए खातों के संबंध में कोई बकाया नहीं है, ऐसा न करने पर प्रस्ताव पत्र वापस ले लिया जाएगा / रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार, ऋण/क्रेडिट कार्ड बकाये के भूगतान में छूक के रिकॉर्ड और/ या जिनके नाम पर सिबिल या अन्य बाहरी एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट उपलब्ध है, वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

ii. जिन उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (कैरेक्टर एंड एंटीसिडेंट्स) नैतिक आचरण की प्रतिकूल रिपोर्ट है, वे इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

## 2. शारीरिक रूप से दिव्यांग (पैडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण:

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 4 प्रतिशत का समस्तरीय आरक्षण दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह पद निम्नलिखित श्रेणी की दिव्यांगता के लिए आरक्षित होगा:

**क. दृष्टि बाधित (वीआई):** केवल वे ही दृष्टिहीन दिव्यांग (वीआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं:

### अ. दृष्टिहीनता :

- पूर्णतः दृष्टिहीन होना या
  - वास्तव में दृष्टि सुधारात्मक लैंस के साथ बेहतर आंखों में 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक न हो अथवा
  - दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 10 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम। अथवा
- ब. कम दृष्टि :**
- वास्तविक दृष्टि सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम न हो
  - दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 40 से 10 डिग्री के कम के कोण बनाती हो।

### ख. श्रवण बाधित (एच.आई.):

**क. बधिर:** वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता 70 डीबी से कम रह गई है।

**ख. ऊँचा सुनना:** वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता की हानि 60 डीबी से 70 डीबी हो गई हो।

**ग. चलने की दिव्यांगता (एलडी):** ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क अथवा नर्वस विकार अथवा दोनों के कारण स्वयं और वस्तु की गति से जुड़े कार्यकलाप कर पाने में अक्षम हो। इसमें निम्नलिखित भी समिलित हैं। चलने-फिरने की दिव्यांगता के अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हो चुका कुष्ठ, बौनापन, मांसपेशीय दुर्बिकार तथा एसिड अटैक के पीड़ित आते हैं। निम्नलिखित आस्थ दिव्यांग व्यक्ति भी चलने की दिव्यांगता के अंतर्गत माने जाते हैं:

- ओए - एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां)
- ओएल - एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)
- ओएएल - एक हाथ और एक पैर प्रभावित
- बीएल - दोनों पैर प्रभावित किंतु हाथ प्रभावित नहीं

**क. 'जिनके कुछ ठीक हो चुके हों'** से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कुछ ठीक हो गया है, परंतु वह निम्नलिखित प्रभाव से जूझ रहा है:

- हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंखों और पलकों में संवेदना की कमी व पक्षाघात होना, परंतु कोई स्पष्ट विकृति न होना।
- स्पष्ट विकृति और पक्षाघात होने पर भी जिसके हाथ और पैर सामान्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम हों।
- चरम शारीरिक विकृति के साथ-साथ उसका कम उम्र का होना, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकता हो, वहाँ, 'कुछ ठीक हो गया है' भाव को उसी अनुसार समझा जाएगा।

**ख. 'सेरेब्रल पाल्सी'** का आशय उस गैर-विकसनशील न्यूरोजीकल स्थिति से है जो शरीर और मांसपेशीयों के समन्वय को प्रभावित करती है। इससे मस्तिष्क का कोई एक या अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह प्रायः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है।

**ग. 'बौनेपन'** से आशय ऐसी चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति से है, जिससे किसी व्यक्ति की लम्बाई 4 फुट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम रह जाती है।

**घ. 'मांसपेशीय दुर्बिकार'** से आशय ऐसे अनुवांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोग समूह से है जो उन मांसपेशीयों को कमजोर करता है, जिनसे मानव शरीर गतिशील होता है। बहु मांसपेशीय दुर्बिकार से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीन के बारे में गलत और अधूरी जानकारी होती है, जिससे उनकी स्वस्थ मांसपेशीयों के लिए आवश्यक प्रोटीन बननी बाधित हो जाती है। इसे विकसनशील स्केलेटल मांसपेशीय कमजोरी के रूप में माना जाता है, यह मांसपेशीय प्रोटीन को कुप्रभावित करती है, इससे मांसपेशीय सेल और टिश्युज मृत हो जाते हैं।

**इ. 'एसिड अटैक पीड़ित'** से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो एसिड या इसी तरह के क्षयकारी तत्व फेंकने से कुरुप हो गया हो।

**ज. 'डी एंड ई'**: केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

**क. "विशिष्ट अधिगम अक्षमता"** (एसएलडी) से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने में कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डाएसेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकैलकुलिया तथा विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियों भी हैं।

**ख. "मानसिक रुग्णता"** (एमआई) से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी विशिष्टा बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

**ग. स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार (अत्यल्प) एसडी (एम):** आटिष्प्र स्पैक्ट्रम डिसांडर (अत्यल्प) से एक ऐसी न्यूरो-विकास संबंधित स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टता: जीवन के पहले तीन वर्षों में उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को संपक्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता प्रदान करती है और आम तौर पर यह असामान्य या एक जैसे कार्य या व्यवहार से संबद्ध होता है।

**घ. "बहु दिव्यांगता"** से एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एसडी (एम) मे बहु दिव्यांगता अभिप्रेत है।

**नोट:** बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण का पात्र माना जाएगा। 'बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति' से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग हो, उन मामलों में जहाँ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह दिव्यांग व्यक्ति भी आता है जिसकी दिव्यांगता को मापन श्रेणी में रखा गया है।

आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार के अंतर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंक के सक्षम अधिकारी के निर्णयनुसार इस प्रमाणपत्र का सत्यापन/पुनर्स्वत्यापन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए।

## लेखन सहायक का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

यदि उम्मीदवार चाहते हैं, तो लेखन सहायक की सुविधा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए अनुमत की जाएगी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है। दिव्यांगता वाले केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिनकी लिखने में कमजोर होने के साथ-साथ लिखने की गति भी प्रभावित है। लेखन सहायक का उपयोग करने के सभी मामलों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

- जो उम्मीदवार पात्र हैं और परीक्षा में लेखन सहायक का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन कार्ड में इस बात का सावधानीपूर्वक उल्लेख करना होगा।
- उम्मीदवार और लेखन सहायक दोनों को ऑनलाइन परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप में एक उचित वचनपत्र देना होगा।
- ऐसे उम्मीदवार जो एक लेखन सहायक के लिए पात्र हैं, परीक्षा के प्रति धंडे 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, चाहे वे लेखन सहायक का सुविधा का लाभ उठा रहे हों, या नहीं।
- उम्मीदवार को अपने निजी खर्च पर अपने निजी लेखन सहायक का प्रबंध करना होगा।
- ऐसा उम्मीदवार, जो ऊपर बताये गये दिशानिर्देशों के अनुसार लेखन सहायक का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा में लेखन सहायक का उपयोग करता है, को भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा।
- लेखन सहायक का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार लेखन सहायक का उपयोग करने के लिए पात्र है।
- यदि यह पाया जाता है कि लेखन सहायक स्वयं (स्वतंत्र रूप से) प्रश्नपत्र हल कर रहा है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- उम्मीदवार को अपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोई भी उम्मीदवार अगर लेखन सहायक का उपयोग कर रहा है, तो उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जायेगा और यदि उपरोक्त व्यक्ति को रहा हो तो उसे बिना सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

### 3. श्रेणी:

ऑनलाइन आवेदन करते समय श्रेणी का नाम एवं श्रेणी कोड लिखने संबंधी निर्देश :

**कृपया ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के बाद श्रेणी में बदलाव नहीं किया जायेगा।**

उम्मीदवार जो अन्य पिछडे वर्ग के हो

## अंतिम चयन

उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में अलग-अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी। अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में क्रमशः 75:25 महत्व के साथ प्राप्त अंकों के सामान्यीकरण (नार्मलाईजेशन) के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा (170 अंकों में से) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को 75 अंकों के लिए बदल दिया जाएगा और उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अंकों (50 अंकों में से) को 25 अंकों में से बदल दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के परिवर्तित अंकों (100 में से) को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची (मंडलवार और श्रेणीवार) तैयार की जाती है। मंडलवार और श्रेणीवार तैयार मेरिट सूची में शीर्ष स्थान वाले उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा।

## परिणाम प्रकाशन

साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के परिणाम, अंतिम परिणाम आदि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

## 5. परीक्षा केंद्र

- i. भारत में कई केंद्रों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की संभावित सूची अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।
- ii. परीक्षा केंद्र/दिनांक/सत्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii. हालांकि, प्रतिसाद और प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर, किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ और केंद्र शामिल करने का अधिकार एसबीआई अपने पास सुरक्षित रखता है।
- iv. किसी उम्मीदवार के लिए उसके द्वारा चुने गए केंद्र के बदले किसी अन्य केंद्र को निर्धारित करने का अधिकार भी एसबीआई के पास सुरक्षित है।
- v. परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर स्वयं की जोखिम और खर्च से आएंगे और उस दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान या चोट आदि के लिए एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।
- vi. परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार द्वारा किए गए बुरे व्यवहार/दुर्व्यवहार के कारण उसकी उम्मीदवारिता रद्द हो सकती है या एसबीआई द्वारा आयोजित भावी परीक्षाओं के लिए उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।

## 6. परिलक्षियां:

वर्तमान में, प्रारंभिक मूल वेतन कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल- I को लागू 36000-1490/7-46430-1740/2-49910-1990/7-63840 के वेतनमान में 36,000/- रुपये + 2 अग्रिम वेतनवृद्धि (किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी संवर्ग में 2 वर्ष या उससे अधिक के कार्य अनुभव के लिए) है। अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महंगाई भर्ते, एचआरए/पट्टा किराये, नगर प्रतिकर भर्ते, चिकित्सा और अन्य भर्ते और अनुलाभ के लिए भी पात्र होंगे।

## 7. कार्यग्रहण, प्रशिक्षण और कॉरियर पथ:

कार्यभार ग्रहण करने पर, चयनित उम्मीदवारों को मंडल स्थित अधिकारी (सीबीओ) के रूप में नामित किया जाएगा और वे बैंक में शामिल होने से 6 महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

पुष्टि के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सीबीओ को परिवीक्षा अवधि के दौरान निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I (JMGS-I) में बैंक की सेवा में पुष्टि की जाएगी। यदि कोई भी उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने में फिल रहता है, तो उसकी सेवाएं किसी भी समय पर बैंक की नीति के अनुसार समाप्त की जा सकती हैं।

चयनित अधिकारी सामान्य संवर्ग में होंगे और बैंक के सामान्य संवर्ग के अधिकारियों के लिए लागू पदोन्नति नीति द्वारा नियंत्रित होंगे। चयनित उम्मीदवार अंतर मंडल स्थानांतरण/कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग/कॉर्पोरेट सेंटर प्रतिष्ठान पोस्टिंग/विदेशी पोस्टिंग के लिए एसएमजीएस-IV ग्रेड में अपनी पदोन्नति या 12 वर्ष की सेवा, जो भी बाद में हो, तक पात्र नहीं होंगे।

## 8. आवेदन शुल्क: (वापस न करने योग्य):

क्र.	श्रेणी	कुल
1.	अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी	शून्य
2.	सामान्य/ईडब्ल्यूएस/अपिव	₹750/-

एक बार भुगतान किया गया शुल्क/सूचना प्रभार न तो वापस किया जाएगा और न ही उस राशि को अन्य किसी परीक्षा या अन्य चयन में समायोजित किया जाएगा।

## 9. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार 18.10.2022 से 07.11.2022 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अन्य तरीके से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्वपैक्षिक: उम्मीदवार के पास वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल होना चाहिए, जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखना होगा। यह अनिवार्य रूप से ईमेल/एसएमएस द्वारा बैंक से किसी भी पत्राचार/कॉल पत्र/सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

## 10. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश:

उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण स्वयं करना होगा। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को आवश्यक आवेदन शुल्क ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग से भरना होगा।

सहायता डेस्क: फार्म को भरने, फीस/सूचना प्रभार के भुगतान या प्रवेश कॉल लेटर की प्राप्ति के बारे में यदि कोई समस्या हो तो, फोन नं 022-22820427 पर (कामाकाज के दिनों में सुबह 11.00 से शाम 5.00 के बीच) या <http://cgrs.ibps.in> पर अपना प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने ईमेल का विषय 'RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS IN STATE BANK OF INDIA-2022' लिखना न भूलें।

अ. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची: अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई हैं:

i. हाल की तस्वीर (जेपीजी/जेपीईजी)	vi. संक्षिप्त जीवनवृत्त: शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव और निपटाये गए नियत-कार्यों का व्यौरा देते हुए (पीडीएफ)
ii. हस्ताक्षर (जेपीजी/जेपीईजी)	vii. शैक्षणिक योग्यता: संगत अंक तालिका/ डिप्री प्रमाणपत्र (पीडीएफ)
iii. आईडी प्रमाण (पीडीएफ)	viii. अनुभव प्रमाण पत्र/ नियुक्ति पत्र/ नौकरी प्रस्ताव पत्र (पीडीएफ)
iv. जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)	ix. फॉर्म-16/वेतन पर्ची (पीडीएफ)
v. जॉब प्रोफाइल (मौजूदा/पिछले नियोक्ताओं द्वारा प्राप्तानि) (पीडीएफ)	

## ब. दस्तावेज, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के स्कैनिंग के लिए दिशा-निर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को निम्न निर्देश विशेष विवरण के अनुसार अपने दस्तावेज, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन्ड (डिजिटल) इमेज अनुलग्नक-II के अनुसार बनानी होगी। निर्देशनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए गैर और ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन नहीं होगा।

### टिप्पणी:

- i. यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
- ii. यदि आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं या अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय नहीं हैं, तो आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- iii. यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या दस्तावेजों को फिर से अपलोड कर सकता है।
- iv. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड किया गया है और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और/या अथवा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## क. पंजीकरण और शुल्क (फीस) का भुगतान (केवल ऑनलाइन द्वारा):

- i. अनुलग्नक-I में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पहले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेज को स्कैन करें।
- ii. उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> देखें और 'Current Openings' पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-प्रारूप को खोलें।
- iii. आवेदन-पत्र सावधानी से भरें। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के बाद उम्मीदवार डाटा प्रस्तुत करें। प्रथम कोशिश में यदि उम्मीदवार डाटा पूर्णतः नहीं भर सकते हैं, तो पहले ही प्रविष्ट डाटा को सेव कर सकते हैं। जब डाटा सेव हो जाता है तब अनन्तिम पंजीयन संख्या और पासवर्ड प्रणाली द्वारा तैयार होगा और वह स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड लिख लें। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से वे सेव किया हुआ डाटा फिर से खोलें और यदि जरूरी हो, तो विवरण को एडिट करें। आवेदन-पत्र पूर्णतः भरने के बाद उम्मीदवार डाटा प्रस्तुत करें। इसके बाद कोई बदलाव/संशोधन की अनुमति नहीं है। इस स्तर पर पंजीकरण अनन्तिम है।
- iv. आवेदन-पत्र में भरे विवरण सही हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद/आवेदक को स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन-पत्र के साथ समन्वित प्रेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस का भुगतान करना होगा।
- v. भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग से स्क्रीन पर पार्सी गई जानकारी प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकता है। ऑन लाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन शुल्क हो, तो वह उम्मीदवार को अदा करना होगा।
- vi. सफलतापूर्वक भुगतान पूर्ण होने पर, ई-स्ट्रीट एवं आवेदन पत्र तैयार होगा, जिसका प्रिंटआउट आवेदक अपने रेकार्ड हेतु ले लें।
- vii. यदि ऑन लाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया पुनः पंजीकरण करें। आवेदक ऑनलाइन लिंक पर ज

- vi. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर लें और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट पर अंतिभार से या वेबसाइट बंद होने से डिस्क्रेनेशन/असहायता/वेबसाइट पर लॉग ऑन के लिए असमर्थता आदि से बचा जा सके.
- vii. ऊपर निर्दिष्ट कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण के बाहर के कारणों से अंतिम तिथि के पहले आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ उम्मीदवारों की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक की नहीं होगी.
- viii. उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें। यदि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जो अन्य आवेदनपत्रों के लिए भरा है उसे जब्त किया जाएगा। उम्मीदवार की परीक्षा में/या समूह कार्य और साक्षात्कार के लिए अनेक बार उपस्थिति/प्रकटन मान्य नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारिता रद्द की जाएगी।
- ix. यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी फोटोग्राफ की 8 प्रतियां (लगभग) अपने पास रखें जो आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड की गई थी क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।
- x. परीक्षा के आयोजन के समय कुछ प्रशासनिक समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा/अथवा परिणामों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है।
- xi. जो उम्मीदवार सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/आरआरबी सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में कार्यरत हैं, उनको सूचना दी जाती है कि वे अपने नियोक्ता से 'अनापति प्रमाणपत्र' लेकर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें जिसके बिना उनकी उम्मीदवारिता रद्द की जा सकती है और यात्रा किराया, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- xii. चयन होने पर, नियुक्ति स्वीकारने के समय, उम्मीदवार को अपने पूर्ण नियोक्ता से उचित कार्य-मुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xiii. पात्रता मानदंड और जन्म तिथि के प्रमाण के बारे में मूल दस्तावेज साक्षात्कार की तारीख को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि साक्षात्कार की तारीख को सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xiv. अ.जा/अ.ज.जा उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xv. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि निर्देश आदि प्राप्त करने के लिए वे अपना इमेल और मोबाइल सक्रिय रखें।
- xvi. अ.पि.व. श्रेणी में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में घोषणापत्र देना होगा कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। 'नॉन क्रीमी लेयर' उल्लिखित अपिव प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें दि. **01.04.2022** से साक्षात्कार की तिथि के बीच जारी किया हुआ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- xvii. मौजूदा डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल वार्षिक आय के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।

- xviii. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार विकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित किए जाने के अधीन है।
- xix. इस विज्ञापन तथा/अथवा इसके प्रत्युत्तर में आने वाले आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद होने की स्थिति में हर कानूनी कार्यवाही के लिए किसी भी दावे/विवाद पर वाद सिर्फ मुंबई में ही शुरू किया जाएगा तथा मुंबई में ही स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों को ही ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा।
- xx. साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले बाहरी उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान/कार्यस्थल से साक्षात्कार की जगह तक भारत में सबसे छोटे मार्ग से रेलवे के एसी-III किराये या खर्च किये गये वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। स्थानीय परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। उम्मीदवार के पद के लिए अद्योग्य पाये जाने पर उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और किसी प्रकार के किराये की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- xxi. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी स्तर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे।
- xxii. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हो) का विवरण देना आवश्यक होगा। बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है। बैंक ऐसे प्रकटनों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने को अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
- xxiii. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है।

## 16. घोषणा:

इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी भावी घोषणाएँ/सूचनाएँ समय-समय पर केवल एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर ही प्रकाशित/उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में कोई अलग से विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा। सभी परिवर्तन/अद्यतन/शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर जारी किए जाएंगे।

## 17. अस्वीकरण:

भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर इस बात का पता चलने पर कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है और या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया जाएगा। यदि इनमें से कोई बात नियुक्ति के बाद उजागर हो, तब भी उस उम्मीदवार की नौकरी रद्द की जा सकती है। पात्रता, परीक्षा के संचालन और चयन प्रक्रिया के संबंध आदि मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी रहेगा। इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

## मुंबई

दिनांक: 18.10.2022

महाप्रबंधक

## अनुलग्नक ।

### दस्तावेज/हस्ताक्षर/फोटोग्राफ स्कैनिंग और उनको अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज होना आवश्यक है।

#### क. हस्ताक्षर:

- उम्मीदवार सफेद कागज पर काले स्थानी के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार का हो, किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर या अन्यत्र जहाँ जरूरी हो, किया जाएगा।
- परीक्षा के समय यदि उत्तर पुस्तिका (स्क्रिप्ट) पर किए हुए उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से नहीं मिलते, तो आवेदक को अयोग्य कर दिया जाएगा।
- फाइल की साइज 10 केबी-20 केबी हो और आयाम 140 x 60 पिक्सेल (वरीयतः)
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से अधिक न हो।
- कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

#### ख. फोटोग्राफ:

- फोटोग्राफ अद्यतन, पासपोर्ट साइज और रंगीन होना चाहिए।
- फाइल का साइज 20 केबी-50 केबी के दरमान हो और आयाम 200 x 230 पिक्सेल (वरीयतः)
- फोटो रंगीन होना चाहिए और वह सफेद या फीकी रंगीन पार्श्वभूमि पर होना चाहिए।
- स्वस्थ चित्त होकर कैमरे की ओर सीधे देखें।
- यदि फोटो सूर्योप्रकाश में ली जाएं तो सूरज आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हो, जिससे आपका फोटो साफ न हो। अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना पड़े तो 'रेड आइ' न हो।
- अगर आप चश्मे का उपयोग करते हैं, तो आपकी आँखे साफ नजर आने के लिए चश्मे पर प्रतिबिंब न हो।
- टोपियाँ, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार पगड़ी स्वीकार्य है, पर उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई फोटो की साइज 50 केबी से अधिक न हो। उसके बाद स्कैनर का सेटिंग समायोजित इस तरह करें कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि स्कैनिंग के समय ठीक हो।
- यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी फोटोग्राफ की 8 प्रतियां (लगभग) अपने पास रखें जो आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड की गई थी क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।

#### ग. दस्तावेज:

- सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए।
- दस्तावेज के पेज का आकार 4x का हो।
- फाइल का आकार 500 केबी से अधिक का न हो।
- दस्तावेज को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर दिया जाए। और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है। फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग के प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि समायोजित करें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए दस्तावेज साफ और पढ़े जा सकने लायक हैं।
- यदि आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं या अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय नहीं हैं, तो आवेदक की उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है।

#### घ. फोटो/हस्ताक्षर/प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

- स्कैन का रिजोल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स् प्रति इंच) सेट करें।
- ट्रू कलर सेटिंग करें।
- फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इमेज रैकैनर पर रखें, तत्पश्चात अपलोड एडिटर की मदद से इमेज को अंतिम साइज में लाएं (जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है)। फोटोग्राफ/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी फारमैट में हो। उदाहरण के लिए फाइल का नाम 'image01.jpg' अथवा 'image01.jpeg'।
- इमेज के आयाम की जांच फोल्डर फाइल का लिस्टिंग करके या माउस को फाइल इमेज आईकॉन पर रखकर किया जा सकता है।
- एमएस विन्डोज/एमएस ऑफिस इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी फारमैट में जो क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न हो, एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। किसी भी फारमैट में उपलब्ध स्कैन्ड फोटो और हस्ताक्षर जेपीजी फारमैट में 'सेव एज' विकल्प चुनकर फाइल मेनू में सेव किया जा सकता है और फोटो का साइज 50 केबी से कम को कम और हस्ताक्षर का साइज 20 केबी से कम साइज में लाया

## परीक्षा केंद्र\* (अनंतिम सूची)

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ऑनलाइन परीक्षा केंद्र	राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ऑनलाइन परीक्षा केंद्र
11	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	28	मणिपुर	इम्फाल
12	आंध्र प्रदेश	गुंटुर, कुर्नुल, विजयवाडा, विशाखापट्टनम	29	मेघालय	शिलांग
13	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	30	मिज़ोरम	आइजोल
14	असम	गुवाहाटी	31	नागालैंड	कोहिमा
15	बिहार	आरा, पटना, मुजफ्फरपुर	32	दिल्ली-एनसीआर	नवी दिल्ली
16	चंडीगढ़	चंडीगढ़/मोहाली	33	ओडिशा	भुवनेश्वर
17	छत्तीसगढ़	रायपुर	34	पुडुचेरी	पुडुचेरी
18	गोवा	पणजी	35	पंजाब	भंटिडा, जालंधर, लुधियाना
19	गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर	36	राजस्थान	जयपुर
20	हरियाणा	अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम	37	सिविकम	बद्रीग - गंगटोक
21	हिमाचल प्रदेश	शिमला, सोलन	38	तमिलनाडु	चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेल्ली
22	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	39	तेलंगाना	हैदराबाद
23	झारखंड	जमशेदपुर, राँची	40	त्रिपुरा	अगरतला
24	कर्नाटक	बैंगलुरु	41	उत्तर प्रदेश	आगरा, प्रयागराज (इलाहाबाद), गाजियाबाद, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी
25	केरल	कोच्ची, तिरुवनंतपुरम			
26	मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर	42	उत्तराखण्ड	देहरादून
27	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई	43	पश्चिम बंगाल	हुगली, कल्याणी, कोलकाता

\*उपरोक्त सूची सांकेतिक है, तथा बैंक किसी परीक्षा केन्द्र पर प्रतिसाद, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर उसे रद्द/शामिल/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।